

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 90

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	520.98	34.65	555.63	753.56	30.00	783.56	753.56	30.00	783.56	822.26	32.74	855.00
<i>वसूलियां</i>	-0.66	...	-0.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>520.32</b>	<b>34.65</b>	<b>554.97</b>	<b>753.56</b>	<b>30.00</b>	<b>783.56</b>	<b>753.56</b>	<b>30.00</b>	<b>783.56</b>	<b>822.26</b>	<b>32.74</b>	<b>855.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	14.99	...	14.99	18.82	...	18.82	17.82	...	17.82	19.78	...	19.78
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>दिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम</b>												
2. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता	204.51	...	204.51	130.00	...	130.00	170.00	...	170.00	150.00	...	150.00
3. सूचना एवं सामूहिक शिक्षा प्रकोष्ठ	23.02	...	23.02	70.00	...	70.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
4. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	50.19	...	50.19	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	60.00	...	60.00
5. ब्रेल प्रैसों की संस्थापन/ आधुनिकीकरण / क्षमता वृद्धि के लिए सहायता	9.80	...	9.80	9.10	...	9.10	9.10	...	9.10	10.00	...	10.00
6. सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार	4.94	...	4.94	5.51	...	5.51	5.10	...	5.10	5.11	...	5.11
7. राष्ट्रीय न्यास की सहायता	0.98	...	0.98	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00	15.22	...	15.22
8. राज्य स्पाइनल इंजुरी सेंटर स्थापित करना	0.50	...	0.50	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
9. भारतीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
10. दिव्यांगता संबंधी तकनीकी उत्पादों एवं मामलों पर अनुसंधान	0.29	...	0.29	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	1.00	...	1.00
11. श्रवण-बाधितों के लिए कालेजों की स्थापना	...	...	...	0.10	...	0.10	0.81	...	0.81	3.00	...	3.00
12. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
13. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	18.73	...	18.73	19.50	...	19.50	23.62	...	23.62	24.00	...	24.00
14. दिव्यांग छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.22	...	3.22	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
15. दिव्यांग छात्रों के लिए प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1.60	...	1.60	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00
16. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
17. दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क कोचिंग	...	...	...	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00
18. दिव्यांगजनों के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा	0.24	...	0.24	1.00	...	1.00	1.20	...	1.20	5.40	...	5.40
<b>जोड़-दिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम</b>	<b>320.02</b>	<b>...</b>	<b>320.02</b>	<b>305.62</b>	<b>...</b>	<b>305.62</b>	<b>326.24</b>	<b>...</b>	<b>326.24</b>	<b>351.73</b>	<b>...</b>	<b>351.73</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>320.02</b>	<b>...</b>	<b>320.02</b>	<b>305.62</b>	<b>...</b>	<b>305.62</b>	<b>326.24</b>	<b>...</b>	<b>326.24</b>	<b>351.73</b>	<b>...</b>	<b>351.73</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
19. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन	...	...	...	45.00	...	45.00	1.00	...	1.00	35.00	...	35.00
20. भारतीय पुनर्वास परिषद	5.55	...	5.55	6.00	...	6.00	6.23	...	6.23	6.35	...	6.35
21. भारतीय संकेत भाषा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र	0.25	...	0.25	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.50	...	4.50
22. दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र	...	...	...	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	2.50	...	2.50
23. राष्ट्रीय विस्तृत और सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान	...	...	...	0.37	...	0.37	0.36	...	0.36	0.37	...	0.37
24. राष्ट्रीय मानसिक मंदता स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान	0.07	...	0.07	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
25. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता	159.04	...	159.04	175.74	...	175.74	200.89	...	200.89	190.02	...	190.02
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>164.91</b>	<b>...</b>	<b>164.91</b>	<b>231.12</b>	<b>...</b>	<b>231.12</b>	<b>211.50</b>	<b>...</b>	<b>211.50</b>	<b>238.75</b>	<b>...</b>	<b>238.75</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
26. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	...	34.65	34.65	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	32.74	32.74
27. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>5.00</b>	<b>34.65</b>	<b>39.65</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>	<b>35.00</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>	<b>35.00</b>	<b>5.00</b>	<b>32.74</b>	<b>37.74</b>
<b>अन्य</b>												
28. वास्तविक वसूलियां	-0.66	...	-0.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>169.25</b>	<b>34.65</b>	<b>203.90</b>	<b>236.12</b>	<b>30.00</b>	<b>266.12</b>	<b>216.50</b>	<b>30.00</b>	<b>246.50</b>	<b>243.75</b>	<b>32.74</b>	<b>276.49</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>अन्य वंचित समूहों (अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों) के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम</b>												
29. दिव्यांगों के लिए स्कीमें												
29.01 दिव्यांगजन अधिनियम स्कीमों का क्रियान्वयन	16.06	...	16.06	193.00	...	193.00	193.00	...	193.00	207.00	...	207.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>520.32</b>	<b>34.65</b>	<b>554.97</b>	<b>753.56</b>	<b>30.00</b>	<b>783.56</b>	<b>753.56</b>	<b>30.00</b>	<b>783.56</b>	<b>822.26</b>	<b>32.74</b>	<b>855.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	501.23	...	501.23	625.01	...	625.01	623.25	...	623.25	667.17	...	667.17
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	13.17	...	13.17	16.54	...	16.54	15.27	...	15.27	17.09	...	17.09
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	34.65	34.65	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00	...	29.74	29.74

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>514.40</b>	<b>34.65</b>	<b>549.05</b>	<b>641.55</b>	<b>27.00</b>	<b>668.55</b>	<b>638.52</b>	<b>27.00</b>	<b>665.52</b>	<b>684.26</b>	<b>29.74</b>	<b>714.00</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	67.00	...	67.00	70.04	...	70.04	73.00	...	73.00
5. राज्य सरकारों की सहायता अनुदान	5.92	...	5.92	45.01	...	45.01	45.00	...	45.00	65.00	...	65.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>5.92</b>	<b>...</b>	<b>5.92</b>	<b>112.01</b>	<b>3.00</b>	<b>115.01</b>	<b>115.04</b>	<b>3.00</b>	<b>118.04</b>	<b>138.00</b>	<b>3.00</b>	<b>141.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>520.32</b>	<b>34.65</b>	<b>554.97</b>	<b>753.56</b>	<b>30.00</b>	<b>783.56</b>	<b>753.56</b>	<b>30.00</b>	<b>783.56</b>	<b>822.26</b>	<b>32.74</b>	<b>855.00</b>

1. **सचिवालय:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं मुख्य आयुक्त दिव्यांगता के सचिवालय पर व्यय का प्रावधान है।

2. **दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता:** दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ाने के लिए जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

3. **सूचना एवं सामूहिक शिक्षा प्रकोष्ठ:** विभाग की योजनाओं के प्रचार हेतु फंड जारी किए गये हैं।

4. **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना:** इस योजना के अंतर्गत, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों की पुनर्वास परियोजनाओं से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों के जरिए यह योजना कार्यान्वित की जाती है।

5. **ब्रेल प्रैसों की संस्थापन/ आधुनिकीकरण / क्षमता वृद्धि के लिए सहायता:** जिन राज्यों में सशक्त संगठन कार्यरत हैं, वहां सहायता उपलब्ध कराने/ब्रेल प्रेस स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

6. **सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार:** दिव्यांगता क्षेत्र में आने वाले नवीन एवं मुख्य मामलों के दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने वाले जागरूकता उत्पन्न करने एवं प्रचार के अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने तथा संवेदीकरण का प्रावधान है।

7. **राष्ट्रीय न्यास की सहायता:** इस स्कीम के अंतर्गत, राष्ट्रीय न्यास को उसकी स्कीमों के लिए निधि जारी की जाती है।

8. **राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर स्थापित करना:** राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को सहायता का प्रावधान किया गया है।

9. **भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर:** सरकार ने गरीब रोगियों के उपचार हेतु 25 बिस्तर निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए एस आई सी को सहायता प्रदान की।

10. **दिव्यांगता संबंधी तकनीकी उत्पादों एवं मामलों पर अनुसंधान:** यह प्रावधान अनुसंधान उद्देश्य के लिए किया गया है।

11. **श्रवण-बाधितों के लिए कालेजों की स्थापना:** ऋणों बाधितों को अपनी उच्चतर शिक्षाएं शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए हेतु जारी रखने के लिए प्रावधान का उद्देश्य श्रवण बाधितों के लिए कालेजों की स्थापना करना है।

12. **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:** राज्य योजना स्कीम दिव्यांगजनों के लिए होस्टल, समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों तथा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के अवयव उपलब्ध करायेगी।

13. **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप:** दिव्यांग छात्रों को विश्वविद्यालयों, संस्थानों तथा वैज्ञानिक संस्थानों में एम.फिल, पीएचडी तथा समतुल्य अनुसंधान डिग्री प्राप्त करने के लिए अनुसंधान अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

14. **दिव्यांग छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** योजना का उद्देश्य पोस्ट-मैट्रिक अथवा पोस्ट-सैकेंडरी स्तर पर अध्ययन कर रहे दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

15. **दिव्यांग छात्रों के लिए प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** दिव्यांगजनों के लिए प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

16. **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति:** दिव्यांग छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर स्तर एवं पीएचडी स्तर के अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। प्रत्येक वर्ष 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, जिसमें से 06 छात्रवृत्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

17. **दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क कोचिंग:** सार्वजनिक / निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने में समर्थ बनाने के लिए दिव्यांग छात्रों को कोचिंग का प्रावधान है।

18. **दिव्यांगजनों के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा:** दिव्यांगजनों के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु प्रावधान।
19. **राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन:** राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है।
20. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** यह भारतीय पुनर्वास परिषद को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है, जो दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के समान मानक लागू करने की एपेक्स सांविधिक निकाय है।
21. **भारतीय संकेत भाषा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र:** यह केंद्र दिव्यांगता क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के दृष्टिकोण से व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराता है।
22. **दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र:** दिव्यांगजनों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।
23. **राष्ट्रीय विस्तृत और सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान:** राष्ट्रीय संस्थान/सार्वभौमिक डिजाइन एवं बाधामुक्त वातावरण केंद्र की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है।
24. **राष्ट्रीय मानसिक मदता स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान:** योजना अभी निरूपित की जा रही है।
25. **राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता:** दिव्यांगता क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना तथा विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये संस्थान पंजीकृत सोसाइटियां हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है।
26. **राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के लिए शेयर पूजी की व्यवस्था की गई है।
27. **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम:** निगम द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग निर्मित किए जाते हैं।
- 29.01. **दिव्यांगजन अधिनियम स्कीमों का क्रियान्वयन:** केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों तथा सुगम्य भारत अभियान और निःशुल्क व्यक्ति अधिनियम, 1995 विशेष रूप से पुनर्वास एवं बाधा रहित सुगम्यता के कार्यान्वयन से संबद्ध गतिविधियों में सहायक स्वायत्त निकाय एवं विश्वविद्यालयों को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।